III/निग0/रीवा/2018/0262

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs. 30/-

अधिवक्ता श्री अखिलेन्द्र कुमार मुकवा द्वारा पेश/06.1.18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

गलाउ तनय महावीर उम्र वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम टीकर तह0 हजूर जिला रीवा म0प्र0 ——— अपीलान्ट

बनाम

1— रजमन्ती बहेलिया पत्नी रामलाल उम्र 70 वर्ष पेशा घरूकार्य

2— सुरेन्द्र बहेलिया तनय रामलाल बहेलिया उम्र 35 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी

3— चन्द्रवती पुत्री रामलाल उम्र 41 वर्ष पेशा घरूकार्य

तीनों निवासी ग्राम टीकर तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

4— दयावती पुत्री स्व0 रामलाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम त्योंथर कला तह0 त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

5— लालमन तनय रामजियावन केवट उम्र 75 वर्ष पेशा कुछ नहीं निवासी ग्राम टीकर तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

6— छत्रपति तनय गोविन्द बहेलिया उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम टीकर तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

7— लीला पुत्री सुखदेव उम्र 47 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम उमरी तह0 मउगंज जिला रीवा म0प्र0

8— श्यामकली पुत्री सुखदेव उम्र 40 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम उमरी तह0 मउगंज जिला रीवा म0प्र0

9— गोलकी पुत्री सुखदेव उम्र 37 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम देवाडाढ जिला सीधी म0प्र0

10— छोटकी पुत्री सुखदेव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम देवाडाढ तह0 व जिला सीधी म0प्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्र0 दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2018 / 262

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
03-08-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 287/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 10–11–2017 के अवलोकन से परलिक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा ने धारा 35(3) का आवेदन आदेश दिनांक 30–8–17 से निरस्त किया है, जिसके विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है जो आदेश दिनांक 10–11–2017 से निरस्त हुई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 की उपधारा 4 सहपठित धारा 44 में व्यवस्था दी गई है कि जहां उपधारा 3 के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है वहीं व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा जिसको कि ऐसे अधिकारी व्दारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्व अपील होती है। विचाराधीन मामले में प्रथम अपील आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 10–11–17 से निरस्त की गई है और अपर आयुक्त का यह आदेश द्वित्तीय अपील योग्य है जबकि आवेदक ने अपील योग्य आदेश की निगरानी प्रस्तुत की है तथा निगरानी को अपील बदलकर सुने जाने की मांग भी नहीं की है जिसके कारण निगरानी अग्राह्य होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	